09.03.2018 :—

वकील अपीलार्थी व वकील रेस्पोंडेंट उपस्थित । अपीलार्थी की ओर से इस न्यायालय के समक्ष 5 प्रार्थना पत्र क्रमशः धारा 391 दं.प्र.सं. दिनांक 31.08.2016, धारा 391 दं.प्र.सं. दिनांक 18.03.2017, धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिनांक 01.11.2017, धारा 145 (2) एन आई एक्ट दिनांक 01.11.2017, धारा 311 दं.प्र.सं. दिनांक 01.11.2017 पेश किये गये । जिनका जवाब रेस्पोंडेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया । इन समस्त प्रार्थना पत्रों पर बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई । प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उनके प्रस्तुत करने की दिनांक के क्रम के अनुसार पृथक पृथक से आदेशिका पर किया जा रहा है ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 391 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 31.08.2016</u>

दिनांक 31.08.2016 को अपीलार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 391 दं.प्र.सं. का इस आशय का पेश किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.02.2015 में अपीलार्थी का रजिस्टर्ड पता टांटोल का लिखा है किन्तु अपीलार्थी पिछले 10 वर्षों से लगातार आज दिन तक झालों का मदार में निवास कर रहा है जिसका ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र अपीलार्थी ने निकलवाया है जो वह पेश कर रहा है अपीलार्थी ने वर्ष 2005 से पूर्व के बने हुए दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये तथा उसके माता पिता वर्ष 2014 तक टांटोल में निवास कर रहे हैं । जिससे अपीलार्थी का राशनकार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज में माता पिता के साथ नाम राशनकार्ड में लिखा होने से व वहां की मतदाता सूची में लिखा होने से उक्त दस्तावेज झालों की मदार से नहीं बन सकते थे इसलिये अधीनस्थ न्यायालय में जो पहचान पत्र अपीलार्थी ने पेश किये वो मात्र सरकारी नियमों के कारण बने हुए थे जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलार्थी वर्ष 2005 के दिसम्बर से लेकर आज दिन तक अस्थाई रूप से ग्राम झालों की मदार में निवास कर रहा है । दिनांक 17.03.2016 को सोहनलाल गुर्जर को विवादित चैक संख्या 271809 के बारे में तथा प्रदर्श डी—1 एग्रीमेंट के संबंध में रजिस्टर्ड सूचना पत्र दिया गया जो

इस प्रकरण से संबंधित है । उसे भी पेश किया जा रहा है । इस सूचना पत्र की डाक द्वारा रसीद दिनांक 18.03.2016 को भी साक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा पेश किया जाना आवश्यक है जो पेश की जा रही है । रेस्पोंडेंट प्रहलाद को दिनांक 07.05.2016 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र अपीलार्थी की ओर से दिया गया वह भी पेश किया जा रहा है क्योंकि उक्त सूचना पत्र में विवादित चैक के बारे में व इस न्यायालय में चल रहे प्रकरण संख्या 09/2015 अपील फौजदारी के बारे में उसे सूचित किया गया है । उक्त नोटिस में विवादित चैक प्रदर्श पी–1 के सिक्युरिटी के तौर पर दिया गया था, लिखा हुआ है जिसकी डाक की रसीद दिनांक 13.12.2016 भी पेश की जा रही है । प्राप्ति रसीद दिनांक 17.05.2016 भी पेश की जा रही है । अपीलार्थी के भाई प्रदीप कुमार का शपथ पत्र भी पेश किया जा रहा है । जिसके बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 138 का अभियुक्त का नोटिस प्राप्त होना बताया तथा प्रदीप कुमार के जरिये अभियुक्त पर तामील मान ली गई । प्रदीप कुमार के बयान अधीनस्थ न्यायालय में नहीं हुए, वह इस न्यायालय में अपना शपथ पत्र पेश करना चाहता है और वह इस बात की जानकारी देना चाहता है कि उसको जो नोटिस धारा 138 का अभियुक्त के नाम का प्राप्त हुआ, उसे उसने अभियुक्त को कभी दिया ही नहीं और न ही अभियुक्त राजेश कुमार को उसने फोन पर सूचित किया कि उसे नोटिस प्राप्त हुआ है । प्रदीपकुमार प्रदर्श डी–1 का मुख्य गवाह है । उसके सामने विवादित चैक संख्या 271809 सिक्युरिटी के पेटे प्रहलाद कुमार को दिया गया था, जिसके बयान अधीनस्थ न्यायालय को लेने आवश्यक थे इसलिये उसका शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है ।

रेस्पोंडेंट प्रहलाद तथा रेस्पोंडेंट का भाई रमेशचन्द्र पिता भंवरलाल, दोनों ने एक साथ शिवनगर आवासीय योजना लालबाग में दिनांक 05.06.2008 के दो अनुबंध किये थे तथा दोनों ही भाईयों को सिक्युरिटी पेटे खाली चेक दिये गये थे तथा दोनों ही भाईयों ने बाद में अधीनस्थ न्यायालय में चैक संख्या 271808 का मुकदमा संख्या 223/2008 रमेशचन्द्र बनाम राजेश कुमार तथा 224/2008 प्रहलाद कुमार बनाम राजेश कुमार चैक संख्या 271809 के वाद पेश किये थे

जिसमें रमेश कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय में 06.04.2013 को कानूनी अधिवक्ता से राय लेकर बयान लिये । उसमें उसने प्रदर्श डी–1 के जरिये कोई भूखण्ड शिवनगर आवासीय योजना में दिनांक 05.08.2006 को नहीं खरीदा और प्रदर्श डी–1 पर अपने हस्ताक्षर को इन्कार कर दिया था । बाद में दिनांक 29.06.2013 को रमेशचन्द्र के भाई ने वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र नाथद्वारा में समझौता पत्र लिखवाया जिसके मध्यस्थ मुकेश भार्गव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा के समक्ष उक्त समझौता पत्र की कलम संख्या 2 में उसने चैक राशि प्राप्त करना तथा पैरा संख्या 7 में प्रदर्श डी–1 एग्रीमेंट दिनांक 05.08.2006 को निष्पादित विक्रय अनुबंध प्लॉट संख्या 34 आवासीय योजना का शिवनगर में प्रथम पक्ष रमेशचन्द्र का कोई अधिकार नहीं होगा एवं दोनों पक्ष विक्रय इकरार एवं चैक के संबंध में भविष्य में कोई फौजदारी एवं दीवानी वाद नहीं करेंगे, उक्त रेस्पोंडेंट के भाई रमेशचन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय में हुए बयान दिनांक 06.04.2013 के विपरीत जाकर अनुबंध प्रदर्श डी–1 को स्वीकार कर उसको निरस्त किया व बाद में 29.06.2013 को सिक्युरिटी पेटे दिये गये चैक की राशि प्राप्त की उसमें प्रहलाद को भी बुलावा भेजा था । वह भी प्रकरण संख्या 224/2008 व चैक संख्या 271809 का फैसला कर प्रदर्श डी–1 विक्रय अनुबंध दिनांक 05.08.2006 को निरस्त कर दिया परन्तु वह नहीं माना जिससे उस मामले का फैसल नहीं हो पाया । उक्त स्थिति में विक्रय अनुबंध दिनांक 05.08.2006 से समझौता पत्र दिनांक 29.06.2013, रमेश के बयान को भी रिकॉर्ड पर लिया जावे । उक्त सभी दस्तावेजात उक्त प्रकरण में हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों के आधार पर आप न्यायालय में पेश किये जाना आवश्यक है । उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बाद के हैं । उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेकर निर्णय किया जावे अन्यथा अपीलार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा ।

इस प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का रजिस्टर्ड पता टांटोल का लिखा है वह सही लिखा है । अपीलार्थी का यह कथन कि वह पिछले 12 वर्षों से आज दिन तक झालों की मदार में

निवास कर रहा है, मिथ्या व मनगढ़न्त है । जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है वह 27.06.2015 का होकर मिथ्या व कूटरचित है । अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014–15 के चुनाव में ग्राम टांटोल में मतदान किया गया था । आज भी गांव टांटोल की वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज है । विवादित चैक व एग्रीमेंट प्रदर्श डी–1 का प्रभूलाल गुर्जर से कोई संबंध नहीं है । एग्रीमेंट के संबंध में पूर्व में ही न्याय निर्णयन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है । रजिस्टर्ड सूचना पत्र की भी प्रकरण में सुसंगतता नहीं है । साथ ही विवादित चैक किसी सिक्युरिटी के तौर पर नहीं दिया गया था बल्कि उधरत राशि के पेटे दिया गया था जिसका न्याय निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है । उक्त संबंधित दस्तावेजात अपील करने के बाद अपीलार्थी द्वारा विरचित किये जाकर मिथ्या साक्ष्य में पेश किये जा रहे हैं जिनकी कोई सुसंगतता नहीं है । प्रदीप कुमार का शपथ पत्र पेश करने हेतु साक्ष्य सफाई में अपीलार्थी को कई अवसर प्रदान किये गये थे फिर भी प्रदीपकुमार के बयान नहीं करवाये और ना ही अपनी साक्ष्य में इस प्रकार का कोई तथ्य अपने बयानात में उठाये । प्रदीपकुमार के बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । नोटिस प्राप्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न्याय निर्णयन किया जा चुका है जो न्यायालय के रेकॉर्ड से संबंधित है । विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2006 प्रदर्श डी–1 में अपीलार्थी के द्वारा अपना पता टांटोल लिखाया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 27.04.2015 को बदनियतिपूर्वक तरीके से सरपंच, झालों की मदार से बनाया गया प्रमाण पत्र फर्जी है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय स्वयं प्रसंज्ञान ले सकता है ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 391 दण्ड प्रकिया संहिता

दिनांक 18.03.2017

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 18.03.2017 को भी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 391 दं.प्र.सं. में इस आशय का पेश किया गया कि उसके द्वारा दिनांक 26.10.2016 को एक रजिस्टर्ड सूचना पत्र रेस्पोंडेंट प्रहलाद कुमार को दिया गया था जिसकी डाक रसीद दिनांक 26.10.2016 है जिसमें रेस्पोंडेंट को उक्त प्रकरण में वर्णित चैक संख्या 271809 को पुनः अपीलार्थी को देने तथा अनुबंध पत्र दिनांक

05.08.2006 की पालना करने के लिये सूचित किया गया था तथा अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2006 तथा विवादित चैक संख्या 271809 के बारे में पूर्व में की गई लिखित जो खाता बही शिवनगर आवासीय योजना, लाल बाग नाथद्वारा की खो गई थी उसके संदर्भ में भी इस सूचना पत्र में हवाला दिया गया था । उक्त सूचना पत्र की असल प्रति व डाक विभाग की असल रसीद न्यायालय में साक्ष्य में पेश की जा रही है ।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.12.2016 को एक रजिस्टर्ड सूचना पत्र पुनः रेस्पोंडेंट को दिया गया था जिसमें रेस्पोंडेंट को आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.02.2015 को खारिज करवाने तथा उक्त प्रकरण संख्या 224/08 में दिये गये न्यायालय के आदेश को खारिज करवा कर उसमें प्रस्तुत चैक संख्या 271809 को पुनः अपीलार्थी को देने व प्रकरण संख्या 224/08 में पेश अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2006 की पालना का दावा करने के लिये विधिवत पुनः सूचना दी गई थी उसकी डाक विभाग की रसीद दिनांक 05.12.2016 व सूचना पत्र की प्रति पेश की जा रही है ।

अपीलार्थी की शिवनगर आवासीय योजना, लाल बाग, नाथद्वारा की खाताबही जिसमें शिवनगर आवासीय योजना में भूखण्ड खरीदने वालों का हिसाब लिखा हुआ है, उसमें रेस्पोंडेंट को दिये गये भूखण्ड संख्या 33 के अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2006 के बदले में सिक्युरिटी पेटे दिये गये चैक संख्या 271809 के बारे में लिखे गये वचन पत्र, खाता बही के पेज नम्बर 14 पर लिखी हुई है । उक्त खाताबही की लिखित की फोटो कॉपी न्यायालय में पेश की जा रही है जिसके पेज नम्बर 14 पर लाल स्याही से ऐ से बी स्थान पर रेस्पोंडेंट के भाई रमेशचन्द्र के बारे में लिखित लिखत है । ई से एफ स्थान पर रेस्पोंडेंट के भूखण्ड संख्या 33 के अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2006 को निरस्त करने पर सिक्युरिटी पेटे दिये गये चैक नम्बर 271809 के भुगतान करने का लिखित पत्र, अपीलार्थी व उसके भागीदार प्रभूलाल गुर्जर के आपसी विवाद चल रहे हैं, उक्त खाताबही इन प्रकरणों के कारण अन्य अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल श्रीमाली के पास रखी हुई थी । जिन्हें रखकर अपीलार्थी भूल गया था और अपीलार्थी 2011 से 2012 तक

अपने पुत्री के ईलाज हेतु भण्डारी अस्पताल उदयपुर आता जाता रहा था । उक्त घटना के बाद अपीलार्थी के पुत्री का देहांत हो गया था जिसके कारण अपनी पुत्री के ईलाज में 2 वर्ष तक रहने व पुत्री का देहांत हो जाने के कारण अपीलार्थी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में अपने बयान में यह बात नहीं कह सका और खाताबही को न्यायालय में पेश नहीं कर सका ।

आगे वर्णित किया कि दिनांक 20.04.2015 को श्री कन्हैयालाल जी श्रीमाली ने अन्य प्रकरणों की फाइलें व कागजात अपीलार्थी को दिये तो अपीलार्थी ने एक बोरी में भरकर अपने निवास झालों की मदार में ले जाकर रख दिये । उसे जब अन्य प्रकरण में दिनांक 07.09.2016 को शिवनगर आवासीय योजना का हिसाब पेश करने की आवश्यकता हुई जहां अन्य प्रकरण में 6,50,000/– रूपये की लिगल लाइबिलिटीज पेश करने की आवश्यकता हुई तो डायरी के पेज संख्या 14 पर उसकी नजर पड़ी जिससे अपीलार्थी की याददाश्त आई कि उक्त डायरी में प्रहलाद को व उसके भाई दिये गये भूखण्ड का हिसाब भी लिखा हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की पुत्री की बीमारी के दस्तावेज पेश किये हुए हैं । उक्त डायरी की फोटो प्रति पेश की जा रही है । उक्त डायरी में जी से एच स्थान पर रेस्पोंडेंट के हस्ताक्षर है, आई से जे स्थान पर कन्हैयालाल श्रीमाली के हस्ताक्षर, के से एल स्थान पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर किये हुए हैं । उक्त खाता बही के पेज नम्बर 14 पर रेस्पोंडेंट के हस्ताक्षर किये हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा पेश प्रदर्श डी–1 अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2006 पर भी रेस्पोंडेंट के हस्ताक्षर हैं जिसे रेस्पोंडेंट ने दिनांक 06.04.2013 को बयानों में ए से बी मार्क कर स्वीकार किया है । खाता बही के पेज नम्बर 14 पर लाल स्याही से मार्क किये गये हस्ताक्षर जी से एच स्थान पर किये गये हस्ताक्षर रेस्पोंडेंट के प्रदर्श डी–1 के ए से बी स्थान पर किये गये हस्ताक्षर से मेल खाते हैं जिन्हें धारा 73 साक्ष्य अधिनियम के तहत मिलान कर खाताबही को रिकॉर्ड पर रखने के आदेश प्रदान किये जावे । साथ ही उक्त हस्ताक्षरों की जांच हेतु धारा 45 दं.प्र.सं. के तहत विशेषज्ञ के पास भेजा जावे ।

आगे वर्णित किया कि यदि न्यायालय चाहे तो खाताबही को साबित करने व प्रदर्शित व प्रमाणित कराने के लिये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में भेजा जावे । अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2006 की पालना करने एवं चैक संख्या 271809 पुनः लौटाने व अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.02.2015 खारिज कराने बाबत् सूचना पत्र दिनांक 7.5.2016, 26.10.2016, 5.12.2016 की प्रतियां, अनुबंध पत्र में वर्णित भूखण्ड संख्या 33 की रजिस्ट्री की नकल भी साक्ष्य में पेश की जा रही है । रेस्पोंडेंट व उसके भाई रमेशचन्द्र दोनों को शिवनगर आवासीय योजना में भूखण्ड़ दिये गये थे जिसकी सिक्युरिटी पेटे चैक संख्या क्रमशः 271808 व 271808 दिये गये थे तथा अनुबंध निरस्त करने पर ही चैक की राशि देने का वचन पत्र किया गया था । रेस्पोंडेंट के भाई रमेशचन्द्र ने भी चैक संख्या 271808 के संबंध में परिवाद पेश किया था जिसका अनुबंध निरस्त हो जाने से चैक की राशि का भुगतान किया गया था एवं चैक के प्रकरण संख्या 223/08 में राजीनामा हुआ था । इस प्रकरण से संबंधित परिवाद, चैक, बैंक के मैमो, राजीनामा, आदेशिका, गवाह के बयान आदि दस्तावेज पेश किये जा रहे हैं जो भी न्यायहित में आवश्यक हैं ।

आगे वर्णित किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी दस्तावेज चैक संख्या 271809 व अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2006 से संबंधित होने से साक्ष्य अधिनियम की धारा 7,8,9 का प्रभाव रखते हैं जिससे इनको अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण करना आवश्यक है अन्यथा अपीलार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा । अतः प्रस्तुत दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने का आदेश फरमाया जावे ।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रत्यर्थी की ओर से निवेदन किया गया कि कलम संख्या 1 में वर्णित दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पश्चात् के वर्णित किये गये हैं जो सुसंगत नहीं हैं व रेकॉर्ड पर लिये जाने योग्य नहीं हैं । रेस्पोंडेंट द्वारा हिसाब की डायरी में तथाकथित लिखत निष्पादित नहीं की गई है एवं डायरी में रेस्पोंडेंट के हस्ताक्षर नहीं है । अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के न्याय निर्णय के पूर्व में भी काफी समय मिला था किन्तु उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । शेष तथ्यों को अस्वीकार किया गया ।

विशेष कथन में वर्णित किया गया कि अपीलार्थी ने पूर्व में दिनांक 31.08.2016 को भी धारा 391 दं.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तब भी उक्त दस्तावेज अपीलार्थी की जानकारी में थे परन्तु उस प्रार्थना पत्र में इन दस्तावेजों का कोई जिक्र नहीं किया । ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती सोच के तहत यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है । अपीलार्थी द्वारा अपील को लम्बित रखने के उद्‌देश्य से सूचना पत्र भेजा जाता है और उसे प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है । अपीलार्थी स्वयं एक अधिवक्ता है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना पत्र दिनांक 26.10.2016 व 05.12.2016 किसी प्रकार से सुसंगतता नहीं रखते हैं । अपीलार्थी द्वारा लिखतम व हिसाब की डायरी मिथ्या व मनगढ़न्त तैयार की गई है एवं रेस्पोंडेंट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं । इस प्रकार न्यायिक प्रकरण में कूटरचित दस्तावेज पेश किया गया है जिसके संबंध में अलग ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा । अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य में तथाकथित हिसाब व लिखतम का कोई जिक्र नहीं किया है और न ही हवाला दिया है । चूंकि उक्त दस्तावेज पहले नहीं था इसलिये इसका जिक्र करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है । अपीलार्थी ने अपने इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे ।

धारा 391 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों (दिनांक 31.08.2016 व 18.03.2017) के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से संयुक्त रूप से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें मुख्य रूप से यह वर्णित किया गया कि अपीलार्थी ने रेस्पोंडेंट प्रहलाद व उसके भाई रमेशचन्द्र को 05.08.2006 को दो भूखण्ड संख्या क्रमशः 33 व 34 शिवनगर आवासीय योजना, लालबाग, नाथद्वारा में दिलवाये तथा उसी दिन दोनों भाईयों द्वारा 50–50 हजार रूपये देने से खातेदार भैरूलाल द्वारा अनुबंध पत्र लिखवाकर दे दिये । बाद में दोनों ने भूखण्ड़ लेने से मना कर दिया जिससे उनकी उक्त राशि को डूबने से बचाने के लिये अनुबंध को निरस्त करने पर उनके द्वारा जमा कराई गई उक्त राशि के लिये अपीलार्थी ने चैक संख्या क्रमशः 271809 व 271808 बिना नाम व तारीख के दिनांक 30 मई 2007 को दे दिये ।

इसके 10–15 दिन बाद वापस दोनों भाइयों ने उक्त चैक्स से राशि लेने से इन्कार कर दिया एवं पुनः भूखण्ड लेने को तैयार हो गये तथा अपीलार्थी ने चैक मांगे तो उन्होंने कहा कि वे भूखण्ड़ प्राप्त करने के बाद ही चैक लौटायेंगे जिस पर अपीलार्थी ने भी चैक लौटाये बिना अनुबंध देने से इन्कार कर दिया जिससे दोनों भाई नाराज हो गये एवं अपीलार्थी पर कानूनी दबाव बनाने के लिये अपीलार्थी को सूचित किये बिना चैक अनादरित करवा दिये तथा अनुबंध निरस्त कराये बिना ही धारा 138 एन आई एक्ट के तहत परिवाद प्रस्तुत कर दिये जिनमें अधीनस्थ न्यायालय में दोनों भाइयों ने झूंठे बयान दिये कि उन्होंने नकद रूपये दिये थे । रेस्पोंडेंट के भाई रमेशचन्द्र ने दिनांक 29.06.2013 को अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2006 को अधीनस्थ न्यायालय में समझौते से निरस्त कर चैक संख्या 271808 की राशि अपीलार्थी से प्राप्त कर ली परन्तु रेस्पोंडेंट ने उक्त अनुबंध निरस्त नहीं किया जिससे उसे चैक संख्या 271809 की राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ है । जब तक रेस्पोंडेंट अनुबंध पत्र निरस्त नहीं कर देता तब तक उसका उक्त चैक के प्रति विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है । रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.04.2013 को यह स्पष्ट तौर पर बताया कि उसने प्रदर्श डी–1 अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं जो एग्रीमेंट के लिये किये हैं तथा उसने अपने बयान में बताया कि उसने भूखण्ड प्रदर्श डी–1 अनुबंध के जरिये खरीदा उसकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है तथा भूखण्ड़ का सौदा निरस्त नहीं किया है । दिनांक 18.02.2015 को अधीनस्थ न्यायालय ने जो विवादित आदेश दिया उसमें रेस्पोंडेंट की ओर से चैक के अलावा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व अन्य साक्षी को पेश नहीं किया गया । अपीलार्थी द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश कर धारा 139 एन आई एक्ट की उपधारणा का खण्डन किया था जिससे रेस्पोंडेंट को विधिक दायित्व साबित करना था जो उसने नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड सूचना पत्र प्रदर्श पी–3 की तामील प्रदर्श पी–5 के जरिये मानकर भूल की है जबकि उक्त नोटिस में वर्णित पते पर अपीलार्थी निवास नहीं कर रहा था तथा वह झालों की मदार में निवास कर रहा था तथा प्राप्ति रसीद

प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–5 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं थे क्योंकि डाक विभाग के कर्मचारी ने नोटिस ग्राम टांटोल में अपीलार्थी के परिवार के सदस्य को दे दिया था जो अपीलार्थी के पास नहीं पहुंचाया था जिससे अपीलार्थी नोटिस का जवाब देने से वंचित हो गया था । रेस्पोंडेंट ने अपीलार्थी के भाई तामील से ही परिवाद पेश कर दिया जिससे परिवाद पेश करने का कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ । जबकि उसने परिवाद में लिख दिया कि नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त हो गया। अपीलार्थी द्वारा मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि वर्ष 2005 में बनाये हुए थे जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये थे । मतदाता सूची में भी नाम अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों के साथ वर्ष 1995 से 2016 तक लिखा हुआ था । अपीलार्थी ग्राम टांटोल में वर्ष 2005 में पारिवारिक झगड़े के कारण घर छोड़कर झालों की मदार चला गया था तब से आज दिन तक टांटोल नहीं गया । अपीलार्थी के परिवार के सदस्य भी किराये के मकान में रहते थे जो भी खमनोर में मकान बनाकर 2013–14 में वहां रहने लग गये । वर्ष 2005 के बाद अपीलार्थी ने ग्राम टांटोल में कभी मतदान नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना निर्णय दिया है जिससे अपील में पेश दस्तावेज रेकॉर्ड पर लेना न्यायहित में आवश्यक है ।

आगे वर्णित किया कि रेस्पोंडेंट के भाई रमेशचन्द्र ने दिनांक 29.06.2013 को जो समझौता किया उससे यह साबित होता है कि उसने 06.04.2013 को जो बयान दिये थे वे झूंठे थे एवं उसने अपीलार्थी को कोई नकद राशि नहीं दी तथा उसने उक्त समझौते में अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2016 को स्वीकार कर अनुबंधित भूखण्ड पर अपना अधिकार छोड़ने के बाद ही उसको अपीलार्थी ने चैक की राशि का भुगतान किया था इस कारण रेस्पोंडेंट के भाई रमेशचन्द्र के चैक संख्या 271808 के प्रकरण संख्या 223/2008 रे.फो. ए सी जे एम कोर्ट की पत्रावली के समस्त दस्तावेज इस प्रकरण में रेकॉर्ड पर लेकर अपील का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अन्त में दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्रों में वर्णित दस्तावेज रेकॉर्ड पर रखने का निवेदन किया ।

अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :-

1. 2014 (2) NIJ 96 (कर्नाटक) वी.राधाकृष्णन बनाम हरिचरनसिंह
2. 2012 (1) NIJ 622 (P&H) इकबाल सिंह बनाम शमशेरसिंह पुरी
3. 2015 (2) NIJ 526 (कर्नाटक) एम अशोक बनाम महेश
4. 2015 (2) NIJ 209 (झारखण्ड) आई बी इन्टरप्राइजेज/कोनार्क सप्लाई ऐजेन्सी
5. 2014 (2) NIJ 520 (बोम्बे) माला उमेशमेहता/एवीआर लोजिस्टिक प्रा.लि.
6. 2014 (1) NIJ 420 (कर्नाटक) चन्द्राहास बसावन्नप्पा बेतागेरी/एस एन गानाचारी
7. 2011 (1) NIJ 237 (राज.) परमजीतसिंह बनाम राजस्थान राज्य
8. 2010 (1) NIJ 07 (एम पी) मुकेश मेहता/श्रीमती अर्चना गांधी व अन्य

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया कि धारा 391 द.प्र.सं. अपीलार्थी को अधिकार प्रदान करती है कि वह अपीलीय न्यायालय में उन दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकता है जो वह अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं कर सका था । उक्त दस्तावेज सही न्याय निर्णयन के लिये आवश्यक है । उक्त दस्तावेजात साक्ष्य अधिनियम की धारा 7,8,9 एवं 33 का भी प्रभाव रखते हैं जो इस प्रकरण की वर्तमान तथा भूतकालीन तथ्यों से संबंधित है । उक्त समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 18.02.2015 के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों एवं अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेंट के मध्य हुए आपसी पत्र व्यवहार एवं आपसी संव्यवहार से जुडे हुए हैं जिन्हें साक्ष्य में लेना आवश्यक है । उक्त समस्त दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत साक्ष्य में बुलाकर धारा 142 (2) एन आई एक्ट के अनुसार उक्त दस्तावेजों से संबंधित सभी साक्षी व्यक्तियों को अपीलार्थी स्वयं के खर्चे पर तलब करवा कर उक्त दस्तावेजों की सत्यता की जांच कराने को तैयार है । इन दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर रखने एवं दस्तावेज से संबंधित साक्षियों को पेश करने का अवसर देने पर रेस्पोंडेंट के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रार्थना पत्र अपीलार्थी स्वीकार कर उसके द्वारा प्रस्तुत धारा 391 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2016 व 18.03.2017 को स्वीकार कर उक्त दस्तावेजात को पेश करने व दस्तावेजात पर साक्ष्य पेश करने की

अनुमति प्रदान की जावे ।

इन तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने यह तर्क दिया कि अपीलार्थी का रजिस्टर्ड पता टांटोल का ही है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो लिखा है वह सही लिखा है । अपीलार्थी का कथन कि वह पिछले 12 वर्षों से आज दिनांक तक झालों की मदार में निवास कर रहा है, मिथ्या व मनगढन्त है । इस संबंध में प्रस्तुत प्रमाणपत्र दिनांक 27.04.2015 का मिथ्या एवं कूटरचित है । अपीलार्थी ने वर्ष 2014–15 के चुनाव में भी ग्राम टांटोल में मतदान किया तथा उसका ग्राम टांटोल की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है । विवादित चैक व प्रदर्श डी–1 एग्रीमेंट से प्रभूलाल गुर्जर से कोई संबंध नहीं है । एग्रीमेंट के संबंध में न्याय निर्णय पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है । विवादित चैक सिक्युरिटी के तौर पर नहीं दिया गया बल्कि उधरत राशि के पेटे दिया गया था जिसका न्याय निर्णयन भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है । अपीलार्थी ने प्रदीप कुमार का शपथ पत्र पेश करने के लिये साक्ष्य सफाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में कई अवसर लिये थे लेकिन उसने उसकी साक्ष्य लेखबद्ध नहीं कराई । इस स्तर पर प्रदीप कुमार के बयान ग्रहण योग्य नहीं है । नोटिस प्राप्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न्याय निर्णय किया जा चुका है । प्रदर्श डी–1 विक्रय अनुबंध में भी अपीलार्थी का पता ग्राम टांटोल का दर्ज है तथा अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा व बंधपत्र आदि में भी उसका पता टांटोल का ही अंकित है ।

रेस्पोंडेंट के द्वारा तथाकथित हिसाब की डायरी में कोई वचन अथवा लिखत अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित नहीं की गई और न ही अपीलार्थी की डायरी में रेस्पोंडेंट के हस्ताक्षर हैं । अपीलार्थी न्यायालय में विचाराधीन अपील को लम्बित करने के आशय से इस प्रकार के प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है । प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें ।

उभयपक्षकारान के तर्कों को सुना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया । धारा 391 दं.प्र.सं. के तहत अपील न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने के संदर्भ में शक्ति प्रदान की गई है । जिसमें अपील न्यायालय यदि अतिरिक्त

साक्ष्य के लिये आवश्यक समझता है तो वह कारणों को अभिलिखित कर ऐसी साक्ष्य ग्रहण करने के आदेश दे सकता है । परन्तु हस्तगत प्रकरण में जो दस्तावेज अपने निवास स्थान के संदर्भ में, शपथ पत्र के संदर्भ में व प्रदर्श डी–1 के संदर्भ में अपीलार्थी ने प्रस्तुत किये हैं, उसके संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करें तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी / अभियुक्त को परिवाद में दर्ज पता ग्राम टांटोल के आधार पर प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् सम्मन से तलब किया था और अपीलार्थी उक्त पते पर रहते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ तथा जिन दस्तावेजात प्रदर्श डी–1 व प्रदर्श डी–2 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.09.2013 को उक्त गवाहों की साक्ष्य हेतु आदेश प्रदान किये थे और उक्त गवाहों को तलब भी किया था । साथ ही अपीलार्थी / अभियुक्त को बचाव में साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था और उसके द्वारा बचाव में तीन गवाहों की साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराई गई थी । अपीलार्थी अभियुक्त के सजा वारण्ट में भी उसका पता ग्राम टांटोल वर्णित किया हुआ है तथा अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में उसके द्वारा यह कहीं भी नहीं कहा गया कि वह ग्राम टांटोल का निवासी नहीं होकर ग्राम झालों की मदार का निवासी है । अपीलीय न्यायालय को अपील के स्तर पर अध्याय 29 दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधारों पर ही अपील सुनने के प्रावधान वर्णित किये गये हैं । यद्यपि धारा 391 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्तियां प्रदान की गई है परन्तु जिन दस्तावेजात को अपीलार्थी उक्त दो प्रार्थना पत्र धारा 391 दं.प्र.सं. दिनांक 31.08.2016 व 18.03.2017 से रिकॉर्ड पर रखवाना चाहता है इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवेचन किया जा चुका है और अपीलार्थी को उक्त दस्तावेज पेश करने हेतु पर्याप्त समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा चुका था परन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त दस्तावेजों व साक्ष्य को तत्समय प्रस्तुत नहीं कर अब प्रस्तुत करना न्यायोचित व विधि संगत नहीं होने से उक्त दोनों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 391 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज किये जाते हैं । अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत

तथ्यों व परिस्थितियों की भिन्नता के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम</u>

अपीलार्थी की ओर से धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2017 को प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने धारा 391 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2016 व 18.03.2017 को प्रस्तुत किये जिनमें उसे अनुबंध पत्र दिनांक 05.08.2006 व खाताबही 2007 की नकल प्रस्तुत की है । उक्त खाता बही अन्य प्रकरणों में पेश करने हेतु अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल श्रीमाली को दी हुई थी जिसको अपीलार्थी भूल गया था तथा 2015 में उक्त अधिवक्ता द्वारा उसे देने पर एवं अन्य प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत करते समय पेज संख्या 14 पर उसकी नजर पड़ने पर उक्त अनुबंध व चैक के संबंध में अंकन होने की जानकारी हुई जिस पर रेस्पोंडेंट व उसके भाई के हस्ताक्षर भी हैं परन्तु रेस्पोंडेंट ने अपने धारा 391 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र के जवाब में उक्त हस्ताक्षर फर्जी होना कहा है । ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेंट के स्वीकृत हस्ताक्षर से मिलान करते हुए खाताबही में किये गये हस्ताक्षरों की जांच विशेषज्ञ से करवाने का आदेश प्रदान किया जावे ।

रेस्पोंडेंट की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए मुख्य रूप से वर्णित किया गया कि इस प्रकार के प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर विचारण न्यायालय को था । प्रार्थना पत्र की न्यायशुल्क नहीं दर्शाई है । अपीलार्थी द्वारा अपील को लम्बित करने के उद्देश्य से कोई न कोई विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं । अतः प्रार्थना पत्र कोस्ट पर खारिज किया जावे ।

इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उभयपक्ष के तर्कों को सुना । दौराने बहस अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए खाताबही में रेस्पोंडेंट के हस्ताक्षर की जांच अधीनस्थ न्यायालय में पेश अन्य दस्तावेज यथा परिवाद पत्र, शपथ पत्र, प्रदर्श डी–1 अनुबंध पत्र आदि से कराने का तर्क दिया । जबकि अधिवक्ता

रेस्पोडेंट ने उक्त शक्ति अपील न्यायालय को प्राप्त नहीं होने का तर्क देते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

अपीलार्थी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2008 (1) एन आई जे पेज 621 (उच्चतम न्यायालय) टी नागप्पा बनाम वाई आर मुरलीधर, 2015 (2) एन आई जे पेज 132 (बोम्बे) बालाशेब बारकु कोल्हे बनाम जगदीश त्रियम्बाक राव माण्डलिक व अन्य तथा 2014 (1) एन आई जे पेज 580 (मध्यप्रदेश) रामसेवक बनाम नारायणसिंह प्रस्तुत किये ।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया ।

इस प्रकरण में निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 18.02. 2015 को किया जा चुका है तथा अपील के स्तर पर अपील न्यायालय को केवल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध में विचार किया जाना है । साथ ही धारा 45 साक्ष्य अधिनियम में यह वर्णित है कि :– जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो तो तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यत विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है ।

अतः इस धारा के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि न्यायालय को उपरोक्त संदर्भ में राय बनानी हो तो वह ऐसे दस्तावेज को विशेषज्ञ व कुशल व्यक्तियों के समक्ष उनकी राय प्राप्त करने के लिये भेज सकता है । चूंकि इस प्रकरण का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कर दिया गया था और अपीलीय न्यायालय को केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में ही आदेश प्रदान करना है तथा यह न्यायालय विचारण न्यायालय नहीं है । उक्त परिस्थिति में यह न्यायालय बाद में प्राप्त हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर की जांच अन्य स्वीकृत दस्तावेज से कराना न्यायोचित नहीं पाता है ।

इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत विचारण न्यायालय को ही इस संदर्भ में आदेश प्रदान करने के संदर्भ में निर्देशित करते हैं । चूंकि मामला विचारण न्यायालय से निर्णीत

होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, और इस न्यायालय द्वारा यदि ऐसा कोई आदेश प्रदान किया जाता है तो विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रही समस्त कार्यवाही के दुषित होने व प्रकरण में पेचीदगियां बढ़ने की सम्भावना स्पष्टतः बनी रहेगी ।

उक्त परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 (2) एन आई एक्ट</u>

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.11.2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 (2) एन आई एक्ट प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारा 391 दं.प्र.सं. के तहत दो प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं जिनके साथ गवाह प्रदीप कुमार का शपथ पत्र पेश किया गया है जिसमें उसने चैक प्रदर्श पी–1, अनुबंध पत्र प्रदर्श डी–1 व सूचना पत्र प्रदर्श डी–3 के बारे में तथ्य वर्णित किये हैं जिससे रेस्पोंडेंट द्वारा जिरह करवाई जाना आवश्यक है अन्यथा अपीलार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा । अतः उक्त साक्षी प्रदीप कुमार को न्यायालय में तलब कर उसकी साक्ष्य लेने का आदेश प्रदान किया जावे ।

रेस्पोंडेंट की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए मुख्य रूप से वर्णित किया गया कि यह न्यायालय अपील न्यायालय होने से उक्त तथ्य सुसंगत नहीं है । प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है । इस प्रकार के प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर विचारण न्यायालय को था । प्रार्थना पत्र की न्यायशुल्क नहीं दर्शाई है । विशेष कथन में यह भी वर्णित किया कि धारा 145 (2) एन आई एक्ट के तहत परिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है, अभियुक्त को कथन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । वर्णित तथ्यों का विचारण विचारण न्यायालय में ही किया जा सकता था । अपीलार्थी द्वारा अपील को लम्बित करने के उद्देश्य से कोई न कोई विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं । अतः प्रार्थना पत्र कोस्ट पर खारिज किया जावे।

इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में भी उभयपक्षकारान के तर्कों को सुना। अपीलार्थी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2006 (2) एन आई जे पेज 56 (बोम्बे) मैसर्स इण्डो इन्टरनेशनल लि. व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2010 (1) एन आई जे पेज 149 (उच्चतम न्यायालय) मैसर्स माण्डवी को–ओपरेटिव बैंक लि. बनाम निमेश बी ठाकोरे प्रस्तुत किये ।

उक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया । धारा 145 एन आई एक्ट विचारण के दौरान परिवाद में परिवादी की साक्ष्य किस प्रकार लेखबद्ध की जायेगी, उस संदर्भ में व्यवस्था करती है तथा धारा 145 (2) न्यायालय को यदि न्यायालय उचित समझता है तो अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पत्र पर सम्मन कर उसका परीक्षण कर सकता है । जिस व्यक्ति के द्वारा शपथ पत्र पर दिये गये साक्ष्य तथ्यों के रूप में उसमें अन्तर्विष्ट है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मूल प्रकरण का निस्तारण दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर उनके द्वारा प्रस्तुत समुचित साक्ष्य को लेखबद्ध कर उसका निर्णय पारित कर दिया था ।

जो न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उसमें शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर विपक्षी को उस पर जिरह करने का अवसर प्राप्त होगा, की व्याख्या की गई है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और अपीलीय न्यायालय को एन आई एक्ट की धारा 145 (2) के तहत शक्तियां प्राप्त हों, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है । अतः यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.011.2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारा 391 दं.प्र.सं. के तहत दो प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं जिनमें वर्णित सभी दस्तावेज प्रकरण से संबंधित हैं । उक्त दस्तावेजों को गवाहों से साबित करवा सकता है जिसके लिये गवाहों को न्यायालय में बुलवाना चाहता है । जिनमें गवाह प्रहलाद

पिता भंवरलाल लौहार, रमेश पिता भंवरलाल लौहार, अपीलांट की तामील कराने वाले पुलिस थाना नाथद्वारा व खमनौर के कांस्टेबल, प्रभूलाल पिता नाथुलाल, प्रदीप कुमार पिता मांगीलाल पालीवाल एवं अपीलांट स्वयं हैं । इन सभी गवाहों को एक ही दिन में बुलाकर इनके बयान लेखबद्ध करवाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे अन्यथा अपीलार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा । अतः उक्त साक्षीगण को तलब कर उनकी साक्ष्य लेने का आदेश प्रदान किया जावे ।

इस प्रार्थना का जवाब रेस्पोंडेंट की ओर से प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए मुख्य रूप से वर्णित किया गया कि दस्तावेज क्या प्रस्तुत किये इसकी जानकारी नहीं दी गई है तथा यह न्यायालय अपीलीय न्यायालय है एवं इस प्रकार के प्रार्थना पत्र का विचारण केवल विचारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में न्यायशुल्क भी नहीं दर्शाई है । अपनी कमी को पूर्ण करने के लिये ऐसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं । अपीलार्थी द्वारा अपील को लम्बित करने के उद्देश्य से कोई न कोई विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं । अतः प्रार्थना पत्र कोस्ट पर खारिज किया जावे ।

इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में भी उभयपक्षों के तर्कों को सुना । अपीलार्थी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2015 (2) एन आई जे पेज 487 (हिमाचल प्रदेश) अकशी ठाकुर बनाम प्रवीन शर्मा, 2013 (1) एन आई जे पेज 88 (बोम्बे) करीम हसन पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2012 (2) एन आई जे पेज 323 (पंजाब व हरियाणा) विन्नी टेक्सटाइल्स बनाम मैसर्स कुबेर स्पाइनटेक्स प्रा. लि., 2009 (2) एन आई जे पेज 06 (राजस्थान) ईश्वरलाल बनाम राजस्थान राज्य, 2012 (2) एन आई जे पेज 51 (मध्यप्रदेश) अशोक बनाम आलोक प्रस्तुत किये । इन न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया ।

धारा 311 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के तहत :-

कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर सम्मन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो, यद्यपि

वह साक्षी के रूप में सम्मन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिये किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को सम्मन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलायेगा और पुनः परीक्षा करेगा ।

उपरोक्त व्यवस्था धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय को प्रदान की हुई है । यह न्यायालय को देखना है कि मामले के न्यायपूर्ण निश्चय के लिये ऐसे किसी गवाह की साक्ष्य आवश्यक है । अपीलार्थी के द्वारा अपने इस प्रार्थना पत्र में धारा 391 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के संदर्भ में प्रहलाद, रमेश तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये अपीलांट के सम्मन व गिरफ्तारी वारण्ट की तामील कराने वाले कांस्टेबल, अपीलांट द्वारा पेश किये गये सूचना पत्र प्रदर्श डी–1 व प्रदर्श पी–1 के बारे में प्रभूलाल गुर्जर की साक्ष्य, प्रदीप कुमार स्वयं अपीलांट जिसके द्वारा 391 दं.प्र.सं. के तहत जो दस्तावेज पेश किये गये, की साक्ष्य देने के लिये उपरोक्त गवाहों को तलब करने की प्रार्थना इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से की गई है । परन्तु उक्त सभी गवाह इस प्रकरण से किस प्रकार सुसंगत और न्यायालय के लिये इन गवाहों की साक्ष्य लेखबद्ध की जाना किस प्रकार आवश्यक है कि न्यायालय इस अपील का न्यायसंगत विनिश्चय कर सके । ऐसा कहीं भी प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से, प्रार्थना पत्र से व बहस से इस न्यायालय को परिलक्षित नहीं होता है । इस न्यायालय को प्रकरण का विचारण नहीं करना है अपितु अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध आई अपील का निस्तारण करना है । उक्त परिस्थिति में यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 27.04.2018 को पेश हो ।